[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification
No. 45 /2017-Customs (N.T.)

New Delhi, dated the 11th May, 2017

G.S.R. (E)---- In exercise of powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 142/2016-Customs (N.T.) dated the 29th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1099 (E) dated the 29th November, 2016, namely:

In the said notification, for the Note, the following shall be substituted, namely:-

"Note:- The Principal regulations were published vide notification number 87/98-Cus. (N.T.) dated the 9th November , 1998 and G.S.R. 662 (E) dated the 9th November, 1998 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) and last amended by notification No. 62/2015-Customs (N.T.) dated 17th June, 2015 vide G.S.R. 501(E), dated the 17th June, 2015 in the Gazette of India.".

[F.No.450/4/2013-Cus. IV]

(Zubair Riaz)
Director (Customs)

IndiaCode

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खण्ड-III उपखण्ड)-iमें प्रकाशनार्थ ()

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (.टे.गै)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2017

सा.का सीमा शुल्क (अ) ------.नि.अधिनियम, 1962) 1962(, की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या (राजस्व विभाग) 142/2016(.टे.गै) सीमाशुल्क-, दिनांक 29.11.2016, जिसे सा .नि.का.1099 दिनांक (अ) 29.11.2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-III उपखण्ड)iमें प्रकाशित किया गया था (, में निम्नलिखित संशोधन करता है,-

टिप्पणी के संबंध में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः -

"उक्त अधिसूचना में नोटः- प्रधान विनियम दिनांक 09.11.1998 की अधिसूचना संख्या 87/98 - सीमाशुल्क गै).टे के अंतर्गत दिनांक (.09.11.1998 की सा.का संख्या .नि.662के (.अ) तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-III, उपखण्ड (iमें प्रकाशित किए (गए थे तथा इनमें भारत के राजपत्र में दिनांक 17.06.2015 की सा .नि.का.501के (.अ) अंतर्गत प्रकाशित दिनांक17.06.2015 की अधिसूचना संख्या 62/2015गै) सीमाशुल्क -.टे (. द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।''

[फाईल सं .450/4/2013सीमाशुल्क- IV]

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)